राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस (सीकर)

पीठासीन अधिकारी – श्री बृजेश कुमार (RAS)

वाद संख्या – 58/2025

(जीसीएमएस नम्बर 2025/116)

1. चौथमल जाट पुत्र ईश्वरलाल, जाति जाट, निवासी ढ़ाणी वधाला वाली रींगस जैतुसर, तहसील रींगस, जिला सीकर (राज0)।

.... प्रार्थी

बनाम

1. लिक्षमण पुत्र ईश्वर, जाति जाट, निवासी ढ़ाणी बधाला वाली भैंरूजी मोड़ वार्ड नम्बर 25 रींगस, तहसील रींगस, जिला सीकर (राज0)।
2. भूमिधारी तहसीलदार तहसील रींगस, जिला सीकर (राज0)।
3. मैनेजर सिंडीकेंट बैंक शाखा रींगस।

.... अप्रार्थीगण

वादपत्र बाबत घोषणा ईस्तकार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– श्री राजेश थेबड एडवोकेट वादी

निर्णय दिनांक 18/08/2025

वादी द्वारा वादपत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है :–

1. यह है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 3443, 6357/3441, 6358/3441, 6359/3442, 6360/3442, 6361/3444, 6362/3444 कुल किता – 4 कुल रकबा 1.10 है0 तन ग्राम रींगस, पटवार हल्का रींगस, भू–अभिलेख निरीक्षक रींगस, तहसील रींगस, जिला सीकर (राज0) मे अवस्थित है, जिसमें 3/16 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है।

2. यह है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 आपस में सगे भाई है एवं कृर्षि भूमि वर्णित मद संख्या 1 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 3/16 की भूमि पक्षकारान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त हिन्दु परिवार की आय से शामलाती मे क्रय की हुयी भूमि है। जिस वादी व प्रतिवादी संख्या 1 वहिस्सा बराबर – बराबर काबिज काश्त चले आ रहे है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 परिवार में कर्ता धर्ता होने व दोनो भाईयों में आपस में विश्वाश्रित संबंध होने एवं आपसी प्रेम व्यवहार होने के कारण उक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के नाम दर्ज करवा दी गयी थी। जबकि उक्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो भाई वहिस्सा बराबर – बराबर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 3/16 में से 1/2 हिस्सा अर्थात कुल भूमि में 3/32 हिस्सा की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी को वादी की हक हिस्सा खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत करने व भूमि को गलत खातेदारी की आड़ में दीगर को किसी प्रकार से

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2025.08.26 11:31:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रींगस (सीकर)

विक्रय रहन, अन्तरण करने का कोई अधिकारी किसी किश्म का नहीं है। इसलिए वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द कराने का अधिकारी है।

3. यह है कि वादी ने प्रतिवादी को उपरोक्तानुसार वादी के नाम उसके हक हिस्सा की खातेदारी दर्ज करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देता रहा है परन्तु दिनांक 15.11.2024 को इन्कार हो गया एवं वादी की हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि में महजाहमत करने व भूमि को गलत खातेदारी की आड़ में दीगर को विक्रय रहन अन्तरण करने की धमकी दी है। इसलिए माननीय अदालत में विनाय ए दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

4. यह है कि सकूनत फरीकेन एवं विवादीत भूमि माननीय अदालत के क्षैत्राधिकार में स्थित है इसलिए माननीय अदालत को वाद श्रवणाधिकार हांसिल है। भूमिधारी तहसीलदार व बैंक को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है ।

5. वादी का वाद वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जाये :—

- ✓ यह है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 3443, 6357/3441, 6358/3441, 6359/3442, 6360/3442, 6361/3444, 6362/3444 कुल किता – 4 कुल रकबा 1.10 है0 तन ग्राम रींगस, पटवार हल्का रींगस, भू–अभिलेख निरीक्षक रींगस, तहसील रींगस, जिला सीकर (राज0) मे प्रतिवादी संख्या 1 नाम दर्ज हिस्सा 3/16 में से 1/2 हिस्सा अर्थात कुल भूमि में 3/32 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सा से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाकर शेष हिस्सा 3/32 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बदस्तुर रखी जावें।
- ✓ यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वादी की हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करे, ना ही बेदखल करे, ना ही भूमि को गलत खातेदारी की आड़ में दिगर को किसी प्रकार से विक्रय रहन अन्तरण करें।
- ✓ यह है कि खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे व अन्य न्यायोचित सहायता वादी हो सादिर फरमायी जावे।

6. वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नाटिस जारी किये गये । प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बावजूद नोटिस सम्यक तामिल व बार – बार आवाज लगाने पर उपरान्त हाजीर अदालत नहीं आये । अतः प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल लायी गयी।

7. वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य वादी [illegible] की शपथ – पत्र वास्ते मुख्य परीक्षण प्रस्तुत किया गया। जिरह शून्य रही तथा [illegible] पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को प्रर्दश करवाये गये।

8. वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य वादी [illegible] गोपाल सिंह पुत्र चन्दाराम जाति जाट एवं विक्रम सिंह पुत्र काना सिंह, जाति राज[illegible] निवासीगण रींगस, तहसील रींगस जिला सीकर (राज0) का लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया । जिरह शून्य रही ।

9. वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज सूची मय अपंजिकृत पारिवारिक ईकरारनामा दिनांक 19.08.2019 प्रस्तुत किया गया। की जिरह शून्य रही ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2025.08.26 11:31:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रींगस (सीकर)

10. एक पक्षीय बहस सुनी गयी ।

11. दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों का दोहरान कर कथन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 आपस में सगे भाई है एवं कृषि भूमि वर्णित मद संख्या 1 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 3/16 की भूमि पक्षकारान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त हिन्दु परिवार की आय से शामलाती मे कय की हुयी भूमि है। जिस वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा बराबर – बराबर काबिज काश्त चले आ रहे है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 परिवार में कर्ता धर्ता होने एवं दोनो भाईयों में आपस में विश्वाश्रित संबंध होने एवं आपसी प्रेम व्यवहार होने के कारण उक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के नाम दर्ज करवा दी गयी थी। जबकि उक्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो भाई बहिस्सा बराबर – बराबर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 3/16 में से 1/2 हिस्सा अर्थात कुल भूमि में 3/32 हिस्सा की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है अतः वाद वादी स्वीकार कर वादी के पक्ष में डिक्री जारी की जावें।

12. वाद पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजात, वादी का शपथ – पत्र, गवाहान का शपथ –पत्र एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन करने, बहस पर मनन करने उपरान्त जाहिर होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत अनरजिस्टर्ड इकरारनामा से वादी वाद पत्र में उक्त आराजीयात संयुक्त आय से कय शुद्धा सम्पदा को सिद्ध करने में असफल रहा है। इस इकरारनामा के मद संख्या 2 में सिविल न्यायालय में विर्निद्विष्ट पालना/चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र होना अंकित है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने पर खारीज किया जाना न्यायोचित प्रतित है।

निर्णय

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद पत्र वादी खारीज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सीकर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2025.08.26 11:31:17 IST
Reason: SelfAttested